(b) whether the Board has prepared any scheme whereby it may toe possible to declare a waterway a "national" waterway?]

Written Answers

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बी० भगवती) : (क) गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की बैठकें १६४२, १६४३, १६४४ श्रीर १६४६ में दो बार श्रीर १६४४, १६४७, १६४६, १६६० श्रीर १६६१ में एक बार हुई। संभवतः बोर्ड के कर्मचारियों का नहीं बल्कि उसके सदस्यों का विवरण मांगा गया है। इसलिए बोर्ड के सदस्यों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

विवरण

ग्रघ्यक्ष . . . सचिव, भारत सरकार, परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) ।

उपाष्यक्ष . . . भारत सरकार के विकास सलाहकार, परिवहन तथा संचार मंत्रालय (परि-वहन विभाग)।

- सदस्य (१) सदस्य, नौचालन , केन्द्रीय जल ग्रीर विद्युत् ग्रायोग या उनका नामजद ।
 - (२) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रति-निषि ।
 - (३) बिहार सरकार का प्रतिनिधि।
 - (४) पश्चिम बंगास सरकार का प्रतिनिधि।
 - (१) श्रसम सरकार का प्रतिनिधि।
 - (६) मुख्य ग्रधिकारी, जल परिवहत विभाग कलकत्ता ।

THE DEPUTY MINISTER IN THIE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (SHRI B. BHAGA-VATI): (a) The Ganga Brahmaputra Water Transport Board met twice during the years 1952, 1953, 1954 and 1956 and once during the years 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961. It is presumed that details of the composition of the Board and not of its staff are required. A statement giving the composition of the Board is accordingly laid on the Table of the Sabha.

to Questions

(b) No, Sir.

STATEMENT

Chairman ... Secretary to the Government of India in the Ministry of Transport and Communications (Department of Transport).

Vice Chairman. Development Adviser to the Government of India in the Ministry of Transport and Communications (Department of Transport).

Members 1. (1) Member, Navigation, Central Water & Power Commission, or his nominee.

- (2) A representative of the Government of Uttar Pradesh.
- (3) A representative of the Government of Bihar.
- (4) A representative of the Government of West Bengal.
- (5) A representative of the Government of Assam.
- (6) Principal Officer, Mercantile Marine Department, Calcutta.]

ज्याइंट स्टीमर कम्पनीज, कलकता के साथ हुआ समझौता

*१४४. श्री लक्ष्मीनारायण दासः नया परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने ज्वाएंट स्टीमर

†[] English translation.

913

कलकत्ता के साथ जो समझौता किया था, जिस के अनुसार, कम्पनी के बेडे को १६६६-६७ तक चालू करना है, उस के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या सरकार ने ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज के मामलों की कोई जांच की है ?

t [AGREEMENT WITH JOINT STEAMER COMPANIES, CALCUTTA

•244. SHRI L. N. DAS: Will the Mi nister of Transport and Communi CATIONS be pleased to state what pro gress has s_u fai -nade with re by gard to the agieem; sd into the Government of India with the Joint Steamer Companies, Calcutta under which the Company's fleet is to be rehabilitated by 1966-67 and whe ther any enquiry has been made by Government into the affairs of the Joint Steamer Companies?]

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बी० भगवती) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

थ्रव तक भारत सरकार ने रिवरज स्टीम नेविगेशन कम्पनी लिमिटेड को उन के जलयानों को फिर से चालू करने के लिए ४.४८.८५७ रुपये का कर्जी मंजूर किया है।

२. जलयानों के निर्माण की प्रगति का जहां तक संबंध है, दो स्वचालित वाहकों के ढांचे तैयार किये जा चुके हैं और ऊपरी संरचना का कुछ भाग पूरा हो गया है। चार अन्य स्वचालित वाहकों का प्रारंभिक मोर्लिंडग और चादरों को काटने का काम शरू हो गया है।

३. ज्वाइंट स्टीमर कम्पनियों से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों की जांच १६५४-५५ में की गयी थी:

- (१) भाड़े की दरें;
- (२) वृकिंग, कैरिज ग्रादि की हालतें;
- (३) यात्री सेवाम्रों ग्रीर यात्रियों के किराये को कायम रखना:
- (४) चैनल की सफ़ाई के लिये किये गये जपाय तथा इस के लिए सरकार कहां तक सहायता दे सकती है ;
- (५) बिहार में सेवाश्रों का बंद किया जाना ।

कम्पनियों की भाडे की दरों की जांच १६६१ में फिर से की गयी थी। इस के अलावा कम्पनियों के मामलों की ग्रोर कोई जांच नहीं की गयी।

t[THE DEPUTY MINISTER m THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (SHRI B. BHAGA-VATI): A statement is laid on the Table' of the Sabha.

STATEMENT

A loan of Rs. 5,48,&57 only has so far been sanctioned by the Government of India to the Rivers Steam Navigation Company Ltd., for the rehabilitation of its craft.

2. As for the progress in construction of vessels, the hulls of two self-propelled carriers have been completed and superstructure erected partially. The work relating to preliminary moulding and cutting of plate of the next four self-propelled carriers has commenced.

- 3. An investigation into the following matters relating to the Joint Steamer Companies was made in 1954-55:
 - (i) Freight rates;
 - (ii) Conditions for booking, carriage etc.
 - (iii> Maintenance of passenger service and Passenger fares;
 - (iv) Channel conservancy measures adopted and the extent of Government assistance in the matter; and
 - (v) Closure of services in Bihar.

An enquiry into the freight rates charged by the companies was again made in 1961. There was no other enquiry into the affairs of the companies.]

टिड्डी दल का खतरा

१६३. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया: क्या खाख तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शन्तर्राष्ट्रीय श्राधार पर टिड्डियों के खतरे का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या निर्णय किये गये हैं?

t [LOCUST MENACE

193. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state the decisions taken by Government to face the locust menace on an international basis?]

खाद्य तथा हुिंब मंत्राल में राज्य मंत्री (श्री राम सुभग सिंह): ग्ररव प्रायद्वीप में टिट्डी दलों की संख्या में कमी करने के कार्य में सहायता देने ग्रीर उनके पूर्व की ग्रीर बढ़कर मारत में घुसने की संभावनाग्रों को कम करने के लिये भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य ग्रीर कृषि संगठन द्वारा संगठित एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय टिड्डी विरोध श्रान्दोलन में

ti | English translation.

१६६२ के आरम्भ में लगातार आठवीं वार भाग लिया।

२. भारत ने मरुस्यल टिड्डी नियन्त्रण के सम्बन्ध में खाद्य और कृषि संगठन तकनी ती सनाहकार समिति तथा खाद्य और कृषि संगठन को मरुस्थल टिड्डी नियंत्रण समिति में भी प्रतिनिधित्व किया।

३. युनाइटेड नेशन्स स्पेशल फन्ड डेजर्ट लोकस्ट प्रोजेक्ट का उसकी स्थापना ग्रथीत १६६० से.भारत एक सदस्य भी है और १.४१ लाख रुपये की राशि वार्षिक चन्दे के रूप में देता है। इस परियोजना का उद्देश्य टिड्डी नियन्त्रण के उत्तम ग्रीर ग्रधिक समय तक चलते रहने वाले कार्यों का विकास करना और राष्ट्रीय टिड्डी विरोध अनुसन्धान और नियंत्रण लंग-ठनों को शक्तिशाली बनाना है। इस परि-योजना के अन्तर्गत, भारत ने हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं। जिस के श्रन्तर्गत बड़े क्षेत्रों में टिडडी नियंत्रण की नई तकनीकों को विकसित करने के लिए १६६२ में भारत में एक परिचालन अनुसन्धान टीम को कार्य करने की श्राज्ञादी है।

४. टिड्डी भ्रासूचना भ्रौर उनके नियंत्रण के उपायों के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए, समय समय पर भारत भ्रौर पाकिस्तान के श्रिवकारियों की बैठकें होती हैं ताकि टिड्डियों से प्रभावित सीमा क्षेत्रों के सम्बन्ध में सर्वे करने का मौका मिल सके।

५. भारत पारस्परिक श्राघार पर श्रफगानिस्तान, ईरान, संयुक्त श्ररव गणराज्य, संयुक्त श्ररव गणराज्य के सीरियन प्रदेश, ईराक, यूनाइटेड किंग्डम ईबोपिया, श्रफ़रीका के कुछ देश श्रीर खाद्य श्रीर कृषि संगठन रोम के साथ पाक्षिक टिड्डी श्रवस्था बुलेटिनों का श्रावान प्रदान करता है।